<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
त्रिलोकचन्द बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी)
सू.अ.अपील संख्या 88/2023</th><th>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>13.06.23</td><td>अपीलार्थी त्रिलोकचन्द पुत्र स्व. भंवरलाल निवासी गणेश कॉलोनी, मूण्डवा चौराहा के पास, मु.पो. चेनार, जिला नागौर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2021 में न्यायालय तहसीलदार, लूणी दर्ज धारा 91 एल.आर. एक्ट प्रकरण संख्या 7/2016 सरकार बनाम केशाराम निर्णय दिनांक 30.12.2016 की पत्रावली निर्णय तहसीलदार पृष्ठ 01 से 72 की प्रति (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(हिमान्शु गुप्ता)
जिला कलक्टर, जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</td><td></td></tr>
</table>